रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 428] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 16, 2017/माघ 27, 1938
No. 428] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 16, 2017/MAGHA 27, 1938

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2017

का.आ. 471(अ).—सेवाओं अथवा प्रसुविधाओं अथवा सहायकियों को प्रदान करने हेतु पहचान पत्र के रूप में आधार का उपयोग करने से सरकारी परिदान की प्रक्रियाएं सरल हो जाती हैं, इसमें पारदर्शिता आती है तथा कार्यकुशलता बढ़ती है, और लाभार्थियों को सुविधाजनक रूप से तथा बिना किसी कठिनाई के अपनी पात्र सुविधाओं को सीधे प्राप्त करने में सुविधा होती है। आधार से किसी व्यक्ति की पहचान सिद्ध करने हेतु बहुविध दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती है । आधार अधिनियम के उपबंध दिनांक 12 सितंबर, 2016 से प्रभावी हुए हैं तथा इस आशय की अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है।

2. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (जिसे इसके पश्चात "मंत्रालय" कहा जाएगा), भारत सरकार नीचे सूचीबद्ध केंद्रीय सेक्टर की तथा केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित छात्रवृत्ति योजनाओं का कार्यान्वयन करता है, जिसके लिए भारत की संचित निधि से व्यय किया जाता है:

(i) कक्षा IX तथा X में अध्ययनरत अनुसूचित जाति (एससी) के छात्रों के मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति;

(ii) सफाई तथा स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरे कार्य में लगे व्यक्तियों के बच्चों को मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति;

(iii) अनुसूचित जाति (एससी) के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति;

(iv) अनुसूचित जाति (एससी) के छात्रों की योग्यता का उन्नयन;

(v) अनुसूचित जाति (एससी) के छात्रों के उच्चतर अध्ययन हेतु राष्ट्रीय फेलोशिप;

(vi) अनुसूचित जाति (एससी) के छात्रों के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा योजना;

(vii) अनुसूचित जाति (एससी) तथा अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना;

(viii) अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के छात्रों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति योजना;

(ix) अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना;

(x) अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप;

(xi) विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्ध-घुमन्तू जनजाति (डीएनटी) के छात्रों के लिए डॉ. अंबेडकर मैट्रिकपूर्व तथा मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना;

(xii) आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी) के छात्रों के लिए डॉ. अंबेडकर मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना।

3. अतः, अब, आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, मंत्रालय एतदद्वारा निम्नलिखित को अधिसूचित करता है, नामतः-

(1) उपर्युक्त सूचीबद्ध केंद्रीय सेक्टर की अथवा केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति संबंधी हितलाभ प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति से एतदद्वारा यह अपेक्षित है कि वह अपने पास आधार प्रमाण पत्र होने का प्रमाण प्रस्तुत करें अथवा आधार प्रमाणीकरण कराएं।

(2) उपर्युक्त सूचीबद्ध केंद्रीय सेक्टर की अथवा केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति संबंधी हितलाभों को प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति, जिनका अभी तक आधार हेतु नामांकन नहीं हुआ है, से एतदद्वारा यह अपेक्षित है कि वह 31 मार्च, 2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करे, यदि वह आधार अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने का पात्र हो और ऐसे व्यक्ति आधार के लिए नामांकन कराने हेतु किसी भी आधार नामांकन केंद्र (www.uidai.gov.in पर सूची उपलब्ध है) में जा सकते हैं।

(3) आधार (नामांकन तथा अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं हेतु, राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से यह अपेक्षित है कि वे अपने कार्यान्वयन विभागों तथा अपने मैट्रिक-पूर्व अथवा उच्चतर शिक्षा संस्थानों के माध्यम से उन लाभार्थियों के लिए नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराएं जिनका आधार हेतु अभी तक नामांकन नहीं हुआ है और समीपवर्ती स्थान में किसी आधार नामांकन केंद्र के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईएडीआई) के मौजूदा पंजीयकों के समन्वय से सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन सुविधाएं प्रदान कराए अथवा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईएडीआई) का पंजीयक बनकर तथा नामांकन एजेंसियों के रूप में मैट्रिकपूर्व अथवा उच्चतर शिक्षा संस्थानों को नियुक्त करके आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान कराए।

केंद्रीय सेक्टर की योजनाओं हेतु, मंत्रालय से यह अपेक्षित है कि वह अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से उन लाभार्थियों के लिए नामांकन सुविधाएं प्रदान करें जिनका आधार हेतु अभी तक नामांकन नहीं हुआ है तथा समीपवर्ती स्थान में किसी आधार नामांकन केंद्र के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, मंत्रालय अपने कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईएडीआई) के मौजूदा पंजीयकों के समन्वय से तथा नामांकन एजेंसियों के रूप में मैट्रिकपूर्व अथवा उच्चतर शिक्षा संस्थानों को नियुक्त करते हुए नामांकन सुविधाएं प्रदान कराए।

बशर्ते कि उस समय तक जब व्यक्ति को आधार सौंपा जाता है, तब तक उपर्युक्त योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति का लाभ ऐसे लाभार्थियों को निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अध्यधीन प्रदान किया जाएगा, नामतः-

(क) (i) आवेदक की उसके नाम पर, अथवा माता-पिता या अभिभावक के साथ संयुक्त नाम पर, बैंक पासबुक और जिसमें आवेदक की फोटो हो;

(ii) यदि वह नामांकित है तो उसकी आधार नामांकन आईडी पर्ची; या

(iii) पैरा 4 के उप-पैरा (2) में यथाविनिर्दिष्ट आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की एक प्रति। और

(ख) निम्नानुसार पहचान प्रमाण –

(i) भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान कार्ड; अथवा

(ii) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; अथवा

(iii) पासपोर्ट; अथवा

(iv) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के तहत लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेंस; या

(v) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा शासकीय लैटर हैड पर जारी ऐसे सदस्य की फोटो की पहचान का प्रमाण-पत्र; या

(vi) राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज,

बशर्ते यह भी कि, उक्त दस्तावेजों की जांच, इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा विशेष रूप से नामित अधिकारी द्वारा की जाएगी।

4. उपर्युक्त सूचीबद्ध योजनाओं के तहत सुविधाजनक रूप से और बिना किसी कठिनाई के छात्रवृत्ति लाभार्थियों को उपलब्ध कराने के लिए, मंत्रालय अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों अथवा राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अपने कार्यान्वयन विभागों के माध्यम से निम्नलिखित व्यवस्थाओं सहित सभी अपेक्षित व्यवस्था करेंगेः-

1) उपर्युक्त सूचीबद्ध योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार की अपेक्षा के बारे में मैट्रिक-पूर्व अथवा उच्चतर शिक्षा संस्थानों के माध्यम से आवेदकों अथवा लाभार्थियों को अवगत करने के लिए मीडिया और व्यक्तिगत नोटिसों के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार करना तथा यदि उन्होंने पहले से नामांकन नहीं कराया है तो 31 मार्च, 2017 तक अपने क्षेत्रों के समीपवर्ती नामांकन केन्द्र में अपना नामांकन कराने की सलाह दी जाए। उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची उपलब्ध करायी जाए।

2) यदि, लाभार्थी मैट्रिकपूर्व या उच्चतर शिक्षा संस्थानों अथवा जहां वे निवास करते हैं, से पांच से सात किमी. के भीतर नामांकन केन्द्र उपलब्ध न होने के कारण अपना नामांकन नहीं करा पाते हैं, यह अपेक्षित है कि मंत्रालय अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों या राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अपने कार्यान्वयन विभागों के माध्यम से सुविधाजनक स्थलों पर नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराएं तथा आवेदकों अथवा लाभार्थियों से यह अनुरोध किया जाए कि वे, अपने संबंधित वेबपोर्टल पर अपने नाम के साथ, संस्थान, जहां वे पढ़ रहे द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र, पता, मोबाइल नम्बर जैसा अन्य ब्यौरा देकर नामांकन हेतु अपना अनुरोध पंजीकृत कराएं तथा ऐसे अनुरोध मैट्रिकपूर्व अथवा उच्चतर शिक्षा संस्थानों के पास भी पंजीकृत किए जाएं।

5. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू व कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 14016/3/2017-डीबीटी]

आइन्द्री अनुराग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Social Justice and Empowerment)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2017

S.O. 471(E).—The use of Aadhaar as identifier for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner. Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity. The provisions of the Aadhaar Act have come into effect from 12th September, 2016 and notification to this effect has been published in the official Gazette.

2. Ministry of Social Justice and Empowerment (hereinafter referred to as Ministry), Government of India implements the Central Sector and Centrally Sponsored Scholarship Schemes listed below which involve expenditure incurred from the Consolidated Fund of India:

(i) Pre-matric Scholarship Scheme for Scheduled Caste (SC) Students Studying in Class IX and X;

(ii) Pre-Matric Scholarships to the Children of those engaged in occupations involving cleaning and prone to health hazards;

(iii) Post-Matric Scholarship for Scheduled Caste (SC) Students;

(iv) Up-gradation of Merit of Scheduled Caste (SC) Students;

(v) National Fellowship for Higher Education for Scheduled Caste (SC) Students;

(vi) Top Class Education Scheme for Scheduled Caste (SC) Students;

(vii) Free Coaching Scheme for Scheduled Caste (SC) and Other Backward Classes (OBC) Students;

(viii) Scheme of Pre-Matric Scholarship for Other Backward Classes (OBC) Students;

(ix) Scheme of Post-Matric Scholarship for Other Backward Classes (OBC) Students;

(x) National Fellowship for Other Backward Classes (OBC) Students;

(xi) Dr. Ambedkar Pre-Matric and Post-Matric Scholarship for De-notified, Nomadic and Semi-Nomadic Tribes (DNT) Students;

(xii) Dr. Ambedkar Post-Matric Scholarship Scheme for Economically Backward Classes (EBC) Students;

3. Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Ministry hereby notifies the following, namely:—

(1) An Individual desirous of receiving Scholarship benefit under the Central Sector or Centrally Sponsored Scholarship Schemes as listed above is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.

(2) An individual desirous of receiving Scholarship benefit under the Central Sector or Centrally Sponsored Scholarship Schemes as listed above and not yet enrolled for Aadhaar is hereby required to make an application for Aadhaar enrolment by 31st March, 2017, in case he is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of Aadhaar Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment center (list available at www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, for Centrally Sponsored Schemes the State Government or Union Territory Administration through its implementing Departments and its Pre-Matric or Higher education institutions is required to offer enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case of absence of any Aadhaar enrolment center in the vicinity, the State Government or Union Territory Administration may provide enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India (UIDAI) or may provide Aadhaar enrolment facilities by becoming Unique Identification Authority of India (UIDAI) Registrar and engaging Pre-Matric or Higher education institutions as enrolment agencies.

For Central Sector Schemes, the Ministry through its implementing agencies is required to offer enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case of absence of any Aadhaar enrolment center in the vicinity, the Ministry through its implementing agencies may provide enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India (UIDAI) and engage Pre-Matric or Higher education institutions as enrolment agencies.

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, Scholarship benefit under the Schemes listed above shall be given to such individual subject to the production of the following documents, namely:—

(a) (i) Bank Passbook of applicant in his or her name or jointly held with his or her parent or guardian, and which contains the photograph of the applicant;

(ii) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment ID slip; or

(iii) a copy of his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 4, and

(b) Identity proofs as under—

(i) Voter identity card issued by the Election Commission of India; or

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card issued by the Income Tax Department; or

(iii) Passport; or

(iv) Driving licence issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(v) Certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or

(vi) Any other document specified by the State Government:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the State Government or Union Territory Administration for that purpose.

4. In order to provide convenient and seamless Scholarship benefit under the Schemes listed above to beneficiaries, the Ministry through its implementing agencies or the State Government or Union Territory Administration through their implementing Departments shall make all the required arrangements including the following, namely:—

1) Wide publicity through media and individual notices through Pre-Matric or Higher education institutions shall be given to applicants or beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive Scholarship benefit under the schemes listed above and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment center available in their areas by 3st March, 2017, in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

2) In case, the beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of enrolment centres within five to seven km from Pre-Matric or Higher education institutions or from where they reside, the Ministry through its implementing agencies or State Government and Union Territory Administration through their implementing Departments is required to create enrolment facilities at convenient locations and the applicants or beneficiaries may be requested to register their request for enrolment by giving their names with other details, such as, identity card issued by the institute where he is studying, address, mobile number on their respective web portal and such requests may also be registered with the Pre-Matric or Higher education institutions.

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in all the States and Union Territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No.: 14016/3/2017-DBT]

AINDRI ANURAG, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2017.02.16 22:19:06 +05'30'